

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर

पीठारीन अधिकारी:- श्री विनोद कुमार गल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 309/2008

दायर तिथि- 13.08.2008

तारीख फेसला- 25.06.2018

वादी-

1-भोपालसिंह पुत्र मगसिंह जी आयु 40 वर्ष जाति राजपुत निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1-स्व. श्रीमती पेपकुंवर पत्नी स्व. मगसिंहजी के कायम मुकाम

1/1 देवी कंवर पुत्री स्व. मगसिंहजी

1/2 छैल कुवर पुत्री स्व. मगसिंहजी

2-सवाईसिंह पुत्र मगसिंहजी आयु 30 वर्ष जातिगण राजपुत निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)।

3- तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट, 1955

:-निर्णय:-

वादी का यह वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 15 कुल रकबा 4.34 हैक्टर है। जिसमें वादि भोपालसिंह पुत्र मगसिंह को ख.न. 15 ख.न. 15/4 रकबा 2.17 हैक्टर तथा सवाईसिंह पुत्र मगसिंह, देवी कंवर, छैल कुवर पुत्री स्व. मगसिंहजी को ख.न. 15/2 रकबा 1.69 ख.न. 15/3 रकबा 0.48 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है। रिपोर्ट व नजरी नक्शा पटवारी हल्का सुमेरपुर से प्राप्त कर रेकॉर्ड पर लिये गये जिसके फलस्वरूप उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य निम्न रूपेण अन्तिम विभाजन किया जाता है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा(हैक्टर)	किस्म	लगान
1	भोपालसिंह पुत्र मगसिंह जी	15 ,15/4	2.17	जा.अ. 1.03 चा.प्र. 0.66	88.97
2	सवाईसिंह पुत्र मगसिंह, देवी कंवर, छैल कुवर पुत्री स्व. मगसिंहजी	15/2	1.69	चा.प्र.	
		15/3	0.48	जा.प्र.	
		2	2.17	-	61.52

अतः वादी का यह वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर उपरोक्तानुसार अन्तिम विभाजन किया जाता है तथा बटवाड़ा मुजब खातेदार एक-दुसरे की बंट व हिस्से की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करेंगे एवं ना ही अन्य किसी से करावेंगे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है। माफिक बटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अंतिम डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सुमेरपुर एवं हल्का पटवारी सुमेरपुर उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शा में तरमीम कर पालना सुनिश्चित करें। पटवारी हल्का सुमेरपुर से प्राप्त प्रस्तावित बटवाड़ा रिपोर्ट व नजरी नक्शा इस निर्णय अभिन्न भाग माना जायेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प सुमेरपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर
जिला-पाली